भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत मसराना–किमोई मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–8.00 किमी0) के निर्माण हेतु 5.3025 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	5.3025 हैक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	3.7800 Ha. आरक्षित वन भूमि काण्डा क0सं0–4, 5 एंव मगरा क0सं0–7ए 0.4200 Ha. आरक्षित/संरक्षित वन भूमि कोटी किमाई ब्लाक –क0सं0–11 1.1025 Ha. सिविल सोयम भूमि मौजा किमोई **5.3025 है0**
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर. एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण के स्थलीय संयुक्त निरीक्षण (दि0 31–5–2009) के अनुसार विभिन्न प्रजाति एंव व्यासवर्ग के कुल 913 वृक्षों के सापेक्ष प्रभागीय कार्यालय के पत्र सं0 2101/12–1, दि0 13–12–2017 के द्वारा पुनः गणना के अनुसार वर्तमान में प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण /स्थल पर विभिन्न प्रजाति एंव व्यासवर्ग के कुल 916 वृक्ष प्रभावित /वाधक होने निहित है। जिसमें से 559 वृक्ष बॉज प्रजाति के सम्मिलित है। उक्तानुसार वृक्षों की प्रजातिवार /व्यासवार गणना /मूल्यांकन सूची एंव प्रजातिवार वैज्ञानिक नामों की सूची प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 45 से 69 पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक–101 से 103 पर भू–वैज्ञानिक की दिनांक 14–3–08 की आख्या चस्पा की गयी है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन काण्डा क0सं0–4, 5 एंव मगरा क0सं0–7ए एंव मसूरी वन्यजीव विहार के संरक्षित/आरक्षित वन भूमि कोटी किमाई ब्लाक –क0सं0–11 तथा मौजा किमोई की सिविल सोयम भूमि) की सीमा अर्न्तगत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	प्रस्तावित मोटर मार्ग कुल लम्बाई 8.00 किमी0 का 600.00मी0 (0.42है0) प्रथम भाग मसूरी वन्यजीव विहार के संरक्षित/आरक्षित वन भूमि कोटी किमाई ब्लाक –क0सं0–11 में अवस्थित है। इस बावत् राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 39 वी. बैठक दि0 23–08–2016 की बैठक का कार्यवृत्त एंव प्रस्तावक/लो0नि0वि0 की अनुपालन आख्या प्रस्ताव के संलग्नक –74 से 79 पर चस्पा किया गया है।

(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	----नहीं----
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत् प्रस्ताव के संलग्नक – 109 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एंव राजस्व विभाग, द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक 107 से 108 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	– नहीं–
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 5.3025 है0 के बदले दुगने 10.065 अर्थात 11.00है0 सिविल सोयम भूमि का मौजा किमोई में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावक /लो0नि0वि0 एंव राजस्व विभाग द्वारा चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन व मानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक–86 से 89 पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10.065 अर्थात 11.00है0 अनवरत सिविल सोयम भूमि का मौजा किमोई में प्रस्तावक /लो0नि0वि0 एंव राजस्व विभाग द्वारा चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की दूरी प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण स्थल से लगभग 0.300 किमी0 दूरी पर है तथा भू–खण्ड पहाड़ी एंव ढालदार है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	**प्रजातियांः–** जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। **कार्यान्वयन एजेन्सीः–** स्वयं वन विभाग। **समयः–** उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागतः–** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 30,65,315.00.00 (रू0 तीस लाख पैंसठ हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 30,65,315.00.00 (रू0 तीस लाख पैंसठ हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक – 90 पर चस्पा है।

11.	उप वन सरंक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रस्ताव के संलग्नक– 12 से 14 पर है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी /DCF द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण की स्थलीय निरीक्षण रिर्पोट प्रस्ताव के संलग्नक–15 पर है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 22–04–2018 को किया गया है,। जो संस्तुति सहित प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–15ए पर चस्पा है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला– टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 94 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 979.9032 है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :– (ख) वनेतर भूमि पर:–	(क) 227.0912 / 622.9106 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1– 218.90 /504.88 है0 में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक /लोक निर्माण विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांकः 01-05- 2018 ।

नामः– (कहकशां नसीम)

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

स्थानः– मसूरी,

सरकारी मुहर